राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 10(7)ग्रावि/नरेगा/संविदा/2017/135421 जयपुर, दिनांक 10 MAY 2017

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा कार्मिकों के कार्य **मूल्यांकन** करने के संबंध में।
प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 10(7)ग्रावि/नरेगा/संविदा/2012/98912 दिनांक 14.02.2017

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा निर्देश दिये गये थे, कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा कार्मिकों के कार्यों की समीक्षा कर कार्मिकों में सुधार नहीं होने की स्थिति में नोटिस दिया जावे। संविदा पर कार्यरत कार्मिक जिनकी कार्यकुशलता एवं कार्य परिणाम संतोषप्रद नहीं है उन कार्मिकों को संविदा सेवा से पृथक किया जावे।

विभाग के अन्य निर्देश दिनांक 24.04.2017 जिसमें महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा/प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों की समयावधि दिनांक 28.02.2018 तक बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान की है, उसमें भी स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों के दिनांक 28.02.2017 तक की अवधि के कार्यों का मूल्यांकन करने के बाद कार्य संतोषजनक पाये जाने एवं पूर्ण संतुष्टि होने पर ही इनकी अनुबन्ध अवधि दिनांक 28.02.2018 तक बढाने की कार्यवाही की जावे।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्तमान में रोजगार की मांग अधिक होने के उपरान्त भी यदि संविदा कार्मिक योजना का कार्य सुचारू रूप से संपादित नहीं कर रहा है तो नोटिस दिया जाकर संविदा अनुबन्ध समाप्त करने की कार्यवाही की जावे। विभागीय निर्देशों के अनुसार संविदा अनुबन्ध बढाने की कार्यवाही नहीं की गई है तो संतोषजनक कार्य नहीं करने वाले संविदा कार्मिकों का अनुबन्ध नहीं बढाया जावे। इस संबंध में आप द्वारा की गई कार्यवाही से इस विभाग को 15 मई 2017 तक अवगत कराने का श्रम करें।

भवदीय,

परि.निदे.एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
4. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
5. निजी सचिव, परियोजना निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस।
6. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त।
7. कार्यक्रम अधिकारी कम विकास अधिकारी समस्त राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे.एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस